न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 39 / 2017

सरकार बनाम मनीराम प्रजापत पुत्र राधेश्याम, जाति– कुम्हार, निवासी– छापड़ा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 05.04.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मनीराम प्रजापत पुत्र राधेश्याम, जाति– कुम्हार, निवासी–छापड़ा द्वारा रोही मौजा छापड़ा की राजकीय भूमि ख.नं. 157 कुल रकबा 64.22 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 150 वर्गमीटर भूमि पर पुख्ता पक्के मकानात बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं....01.......... पर
वर्ष 2017-18...में रुपये..05/—.कायम कि।
राजस्व लेखाकार